



Health & Family Welfare Department
Govt. of Bihar

CITIZEN'S CHARTER

<http://health.bih.nic.in>

बिहार सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग
आदेश

राज्य पुर्नगठन अधिनियम 2000 के सन्दर्भ में झारखण्ड राज्य में पदाधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा आवंटित किये जाने के फलस्वरूप स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के कार्यों को सुदृढीकरण एवं त्वरित निष्पादन के लिए प्रशाखाओं को निम्न प्रकार पुनर्गठित किया जाता है:-

प्रशाखा-1	<ol style="list-style-type: none"> 1. सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल सहित) के पदों का सृजन एवं योजना/विकलांग भवन/फार्मसी स्कूल/निजी पारा मेडिकल, से संबंधित सभी कार्य। 2. इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना एवं इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना(पी0एम0सी0एच0,पटना)से संबंधित कार्य। 3. परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवाएँ से संबंधित सभी कार्य।
प्रशाखा-2	<p>राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग एवं दंत सेवा संवर्ग के मूल कोटि के पदों पर पदाधिकारियों की नियुक्ति/ स्थापना कार्य/अवकाश की स्वीकृति/ स्थानान्तरण/ पदस्थापन/कार्य अवधि विनियमन, बाह्य सेवा शर्त पर प्रतिनियुक्ति, जन्म तिथि संसूचन, वरीयता का निर्धारण/आरोप, विभागीय कार्यवाही पेंशन एवं सभी प्रकार के अग्रिम।</p>
प्रशाखा-3	<ol style="list-style-type: none"> 1. मूल कोटि से उपर अर्थात् उपाधीक्षक, अधीक्षक, सिविल सर्जन एवं समकक्ष पद, उप निदेशक आदि के पदाधिकारियों के स्थापना संबंधी सभी कार्य। 2. अवकाश, सेवा विनियम, वाह्य सेवा शर्त पर प्रतिनियुक्ति, संवर्ग का संधारण, जन्म तिथि का संसूचन, पेंशन सभी प्रकार के अग्रिम एवं आरोप तथा विभागीय कार्यवाही संबंधित सभी कार्य। 3. स्वास्थ्य सेवा संवर्ग दंत सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों की सभी प्रकार की प्रोन्नति, सेवा संपुष्टि संबंधी कार्य एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र, ऐच्छिक सेवा निवृत्ति, स्वदेश/विदेश अध्ययन अवकाश संबंधी सभी कार्य, परीक्षा से विमुक्ति, चरित्र पुस्ती संधारण।
प्रशाखा-4	<ol style="list-style-type: none"> 1. सभी क्षेत्रीय कर्मचारियों, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, बुनियादी कार्यकर्ता की स्थापना तथा पारा मेडिकल स्टाफ, (ड्रेसर, कम्पाउन्डर, लैब टेक्नीशियन आदि) की स्थापना संबंधी सभी कार्य। 2. आरोप, पेंशन एवं अग्रिम संबंधी सभी कार्य।

प्रशाखा-5	<ol style="list-style-type: none"> 1. मुख्यालय स्थापना, मुख्यालय के स्टेशनरी, गाड़ी, उपस्कर, दूरभाष से संबंधित सभी कार्य। 2. पेंशन/अग्रिम एवं आरोप से संबंधित सभी कार्य। 3. लेखा एवं वितरण/अभिलेखागार संबंधी कार्य।
प्रशाखा-6	<ol style="list-style-type: none"> 1. नर्सिंग स्थापना यथा, परिचारिका श्रेणी "ए" एवं इससे ऊपर के पदों का स्थापना कार्य, महिला स्वास्थ्य परिदर्शिका एवं ए0एन0एम0 का स्थापना कार्य, नर्सिंग स्कूल, ए0एन0एम0 स्कूल के प्रशिक्षण से संबंधित सभी कार्य। 2. बिहार परिचारिका निबंधन परिषद् से सम्बंधित सभी कार्य। 3. आरोप, पेंशन एवं अग्रिम संबंधी सभी कार्य।
प्रशाखा-7	<ol style="list-style-type: none"> 1. बजट/शीर्ष-2210 गैर योजना/योजना संबंधी स्वास्थ्य विभाग का सभी कार्य। 2. बजट/शीर्ष-2210 गैर योजना/योजना संबंधी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल तथा संबंधित संस्थानों के संबंध में सभी कार्य। 3. बजट/शीर्ष-2210 गैर योजना/योजना संबंधी देशी चिकित्सा से संबंधित सभी कार्य।
प्रशाखा-8	<ol style="list-style-type: none"> 1. अंकेक्षण/निरीक्षण प्रतिवेदन एवं गवन से संबंधित सभी कार्य। 2. लोक लेखा समिति से संबंधित कार्य।
प्रशाखा-9	<ol style="list-style-type: none"> 1. दवा क्रय/अन्य सभी प्रकार के मशीन/उपकरण के क्रय संबंधी सभी कार्य। 2. एम0एस0डी0 कलकत्ता/मुम्बई/चेन्नई/करनॉल आदि संस्थानों से दवाओं के अनिमित क्रय वर्ष 1985-1995 की अबधि की जाँच की कार्यवाही।
प्रशाखा-10	<ol style="list-style-type: none"> 1. शीर्ष 2210 की स्कीम (चि0शि0 रहित) संबंधी सभी कार्य।
प्रशाखा-11	<ol style="list-style-type: none"> 1. सभी प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम तथा कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम / यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम/अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम/एड्स नियंत्रण कार्यक्रम सभी कार्य। 2. मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार नियंत्रण एवं अन्य संक्रामक रोगों के नियंत्रण संबंधी सभी कार्य। 3. स्कीम संबंधी सभी कार्य। 4. स्थापना आरोप पेंशन एवं अग्रिम से संबंधित सभी कार्य।
प्रशाखा-12	<ol style="list-style-type: none"> 1. परिवार कल्याण कार्यक्रम का योजना (शीर्ष 2211), बजट, सांख्यिकी संबंधी सभी कार्य। 2. परिवार कल्याण कार्यकर्ता, सांख्याता एवं संगणक के पदों की स्थापना। 3. स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रचार-प्रसार संबंधी सभी कार्य। 4. प्रचार-प्रसार से संबंधित स्थापना, अग्रिम पेंशन एवं आरोप संबंधी सभी कार्य। 5. आई0पी0पी0-7 का कार्य।

प्रशाखा-13	<ol style="list-style-type: none"> 1. विधान सभा, संसदीय कार्य, ओ0 एण्ड एम0 की बैठक संबंधी सभी कार्य। 2. विधी संबंधी कार्य, माननीय उच्च न्यायालय, उच्चम न्यायालय में याचिकाओं अवमानना वादों के संधारण एवं अन्य क्षेत्रीय न्यायालयों से संबंधित मामलों के निष्पादन को सुनिश्चित कराने संबंधी कार्य।
प्रशाखा-14	इस प्रशाखा में चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति/मेडिकल बोर्ड से संबंधित पेंशन कम्प्यूटेशन आदि के संबंधित सभी कार्य निष्पादित किये जायेंगे।
प्रशाखा-15	<ol style="list-style-type: none"> 1. औषधि नियंत्रण कार्य, औषधि निरीक्षक की स्थापना/खाद्य नियंत्रण, अभियोजन/नकली दवाओं की जाँच एवं नियंत्रण संबंधी सभी कार्य। 2. स्थापना, अग्रिम, पेंशन एवं आरोप संबंधी सभी कार्य।
प्रशाखा-16	<ol style="list-style-type: none"> 1. देशी चिकित्सा होमियोपैथिक/यूनानी/आर्युवेदिक चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों की स्थापना तथा इनके संबंधित महाविद्यालयों/ अस्पतालों/ औषधालयों के स्कीम संबंधी सभी कार्य। 2. देशी चिकित्सा अन्तर्गत स्थापना, अग्रिम, पेंशन एवं आरोप संबंधी सभी कार्य।
प्रशाखा-17	<ol style="list-style-type: none"> 1. चिकित्सा महाविद्यालय के शैक्षणिक पद के कनीय/वरीय पदाधिकारी का स्थापना संबंधी कार्य/विदेश यात्रा/सेवा विनिमयन संबंधी कार्य, दंत चिकित्सा महाविद्यालय, फिजीयोथेरापी एण्ड आकूपेशनल थेरापी कालेज तथा फार्मसी संस्थान से संबंधी कार्य। 2. उपर्युक्त संबंधी अस्पतालों/संस्थानों में पदस्थापित चिकित्सकों सहित राजपत्रित कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप एवं निगरानी संबंधी सभी कार्य/विभागीय कार्यवाही संबंधी सभी कार्य। 3. प्रोन्नति संबंधी कार्य। 4. चिकित्सा शिक्षा से संबंधित पदाधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन की स्वीकृति/मोटर कार/मोटर साईकिल/भवन निर्माण अग्रिम एवं सामान्य भविष्य निधि अग्रिम से संबंधित कार्य।
प्रशाखा-18	<ol style="list-style-type: none"> 1. विविध कार्य यथा क्षेत्रीय पदाधिकारियों की बैठक से संबंधित कार्य 20 सूत्री कार्यक्रम/अनुश्रवण एवं समन्वय संबंधी कार्य। 2. वैसे सभी पत्रों का अनुश्रवण एवं समन्वय जिसका संबंध दो या दो से अधिक प्रशाखाओं के बीच का हो अथवा उपरोक्त 17 प्रशाखाओं के बीच आवंटित कार्य में उल्लेख नहीं है।

स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों के बीच निम्न प्रकार से कार्य का आवंटन किया गया है:-

प्रशाखा का नाम	प्रथम स्तर के पदाधिकारी	द्वितीय स्तर के पदाधिकारी	अन्तिम स्तर के पदाधिकारी
प्रशाखा-1	श्री मदन प्रसाद, उप सचिव	श्री देवोत्तम वर्मा, अपर सचिव	प्रधान सचिव
प्रशाखा-2	श्री प्रवीण कुमार, उप सचिव	—	प्रधान सचिव
प्रशाखा-3	श्री प्रवीण कुमार, उप सचिव	श्री महाशंकर मिश्र, संयुक्त सचिव	प्रधान सचिव
प्रशाखा-4	—	श्री महाशंकर मिश्र, संयुक्त सचिव	प्रधान सचिव
प्रशाखा-5	श्री प्रवीण कुमार, उप सचिव	श्री राम कुमार पांडेय, अपर सचिव	प्रधान सचिव
प्रशाखा-6	श्री गोपी कान्त झा, उप सचिव	श्री बिहारी दास, संयुक्त सचिव	प्रधान सचिव
प्रशाखा-7	श्री मदन प्रसाद, उप सचिव	श्री विश्व मोहन प्र० सिंह, संयुक्त सचिव	प्रधान सचिव
प्रशाखा-8	श्री सुदेश कुमार लाल, अवर सचिव	श्री राम कुमार पांडेय, अपर सचिव	प्रधान सचिव
प्रशाखा-9	श्री गोपी कान्त झा, उप सचिव	श्री विश्व मोहन प्र० सिंह, संयुक्त सचिव	प्रधान सचिव
प्रशाखा-10	श्री गोपी कान्त झा, उप सचिव	श्री विश्व मोहन प्र० सिंह, संयुक्त सचिव	प्रधान सचिव
प्रशाखा-11	—	श्री बिहारी दास, संयुक्त सचिव	सचिव
प्रशाखा-12	श्री मो० अली, प्रशासी पदाधिकारी	श्री महाशंकर मिश्र, संयुक्त सचिव	प्रधान सचिव
प्रशाखा-13	श्री सुदेश कुमार लाल, अवर सचिव	श्री बिहारी दास, संयुक्त सचिव	प्रधान सचिव
प्रशाखा-14	श्री सुदेश कुमार लाल, अवर सचिव	श्री देवोत्तम वर्मा, अपर सचिव	प्रधान सचिव
प्रशाखा-15	श्री सुदेश कुमार लाल, अवर सचिव	श्री बिहारी दास, संयुक्त सचिव	प्रधान सचिव
प्रशाखा-16	श्री विश्व मोहन प्र० सिंह, संयुक्त सचिव	श्री राम कुमार पांडेय, अपर सचिव	सचिव
प्रशाखा-17	श्री मदन प्रसाद, उप सचिव	श्री देवोत्तम वर्मा, अपर सचिव	सचिव
प्रशाखा-18	श्री मो० अली, प्रशासी पदाधिकारी	श्री महाशंकर मिश्र, संयुक्त सचिव	प्रधान सचिव